

कार्यालय नियंत्रक  
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय  
पंतनगर, जिला— ऊधमसिंह नगर

संख्या : वि.नि./आयकर/779/1623


दिनांक : जनवरी 29, 2024

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 समाप्ति पर है तथा शेष माह के वेतन से पूरे वर्ष की आयकर देयता समायोजित की जानी है। वि0वि0 के महाविद्यालयों/निदेशालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयकर कटौती सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व में प्रेषित पत्रांक वि0नि0/आयकर/779/1292, दिनांक: 22.11.2022 के माध्यम से दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित है:-

1. "विश्वविद्यालय के Integrated Financial Management System (IFMS) के Employee Corner Module पर उपलब्ध करायी जा रही Income Tax Calculation Sheet FY 2023-2024 पर ही सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी वार्षिक आय रू0 2.50 लाख से अधिक है, की आयकर देयता निर्धारित की जानी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) में निम्नवत् दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के आधार पर आयकर गणना की जानी है-  
I). पुरानी कर प्रणाली के अनुसार पूर्व वर्ष की भांति नियमानुसार छूट या कटौती अनुमन्य होगी।  
II). नई कर प्रणाली (धारा 115BAC) के अनुसार धारा 80CCD(2) एवं Standard Deduction के अतिरिक्त कोई भी छूट या कटौती अनुमन्य नहीं होगी।
2. अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपर्युक्तानुसार आयकर गणना हेतु विकल्प का चुनाव कर, दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की आय एवं बचत के आंकड़ों की प्रविष्टि कर आयकर गणना प्राप्त हो जायेगी तथा प्राप्त प्रिंट आउट (Print Out) के साथ आय के सापेक्ष दावा की गयी कटौतियों (Deductions) से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की स्वसत्यापित (Self Attested) छायाप्रति तथा Salary Register से सत्यापित वार्षिक आय विवरणी (Annual Income Statement) सहित अपने विभाग/महाविद्यालय के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त Income Tax Calculation Sheet F.Y 2023-2024 एवं Verified Annual Income Statement के साथ संलग्न सभी स्वसत्यापित अभिलेखों की जांच करते हुए, हस्ताक्षरित करने के उपरान्त विलम्बत: दिनांक 20.03.2024 तक 01 प्रति में (सभी स्वसत्यापित संलग्नकों सहित) वेतन की चेक लिस्ट के साथ सूचीबद्ध (Listing) करते हुए नियंत्रक कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें एवं 01 प्रति विभाग/महा0 के कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी तथा 01 प्रति सम्बन्धित को विभाग/महाविद्यालय द्वारा वापस की जायेगी।
3. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर/अन्तिम वेतन/अवकाश नकदीकरण एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त पेंशन इत्यादि का भुगतान दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि में होने पर उनकी भी Income Tax Calculation Sheet F.Y 2023-2024, Annual Income Statement एवं PAN Card की छाया प्रति नियंत्रक कार्यालय में विलम्बत: दिनांक 20.03.24 तक उपलब्ध करायी जाये ताकि आयकर विभाग के निर्धारित समय तक फार्म-16 निर्गत किये जायेंगे।
4. महाविद्यालयों/विभागों द्वारा Income Tax Calculation Sheet FY.2023-2024 में देय आयकर की पूर्ण कटौती सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन/एरियर इत्यादि से की जानी अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने PAN के माध्यम से सीधे आयकर जमा नहीं करें। आयकर देयता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन/एरियर इत्यादि से कराना अनिवार्य है, जिसे विश्वविद्यालय TAN के माध्यम से ही जमा कराया जाना होता है। आयकरदाता द्वारा पूर्ण आयकर कटौती वेतन आदि से न कराये जाने पर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज/अर्थदण्ड का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आयकरदाता का होगा।
5. सभी महाविद्यालयों/विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनसे सम्बन्धित कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की Annual Income Statement के आधार पर Income Tax Calculation Sheet FY.2023-2024 तैयार कर ली गयी हैं। आयकर विभाग के सभी विवरणों की e-filing होने के कारण विश्वविद्यालय का फार्म-24Q तैयार होने से पूर्व तक सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के आयकर गणना प्रपत्र एवं फार्म-16 पूर्ण होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के फार्म-24Q की e-filing के उपरान्त फार्म-16 का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग का होगा। फार्म-16 पूर्व वर्षों की भांति Verification के पश्चात् महाविद्यालयों/विभागों को निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं से अपने महाविद्यालय/विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

  
नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. लेखाकार (वेतन प्रकोष्ठ), महाविद्यालयों/विभागों से उपरोक्तानुसार चेक लिस्ट (Check List) के साथ Verified Income Tax Calculation Sheet FY.2023-2024 में दर्शायी गयी शेष आयकर की कटौती को फरवरी, 2024 के वेतन से करना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रोग्रामर, नियंत्रक कार्यालय, को इस पत्र को वि0वि0 के IFMS पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, वि0वि0 वेबसाइट, प्रौ0 महाविद्यालय, को इस पत्र को वि0वि0 वेबसाइट पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
4. समस्त उप नियंत्रक/लेखाधिकारी।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक